

1. Resolution of the corporation approving Smart City Plan including financial plan

**नगर निगम, बरेली**

प्रतिलिपि

नगर निगम / कार्यकारी समिति को प्रस्ताव संख्या 4/67 दिनांक 30-07-2015

प्रस्ताव

4- राष्ट्रीय विकास संचालन भारत द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी योजना की प्रक्रिया चल रही है।

स्मार्ट सिटी का वास्तविक विकास की सहजता, स्वीकृति आवश्यकता है।

संयुक्त रूप से नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी योजना को लागू करने में सहायता प्रदान की जायेगी।

स्वीकृत

नगर निगम, बरेली

15.27

नगर निगम, बरेली

## 2. Resolution of the corporation for setting up Special Purpose Vehicle

डा० आर्द० एस० तोमर

महापौर  
नगर निगम, बरेली



कार्यालय : 0581-2576794  
कैम्प कार्यालय : 0581-2567500  
फिवाहा : 0581-2567200  
E-mail : mayorbareilly@yahoo.com  
35A/1-2 रामपुर बाग, बरेली।  
पिन - 243001

दिनांक 05-12-15

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, बरेली।

स्मार्ट सिटी योजना गाईड लाईन के अनुसार आप द्वारा प्रेषित स्मार्ट सिटी प्लान एवं वित्तीय प्लान व एस0पी0वी0 के गठन का प्रस्ताव सदन की स्वीकृत हेतु प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया।

नगर निगम सदन द्वारा स्मार्ट सिटी के सम्बन्ध में पूर्व में ही प्रस्ताव संख्या 4/67 दिनांक 30-07-2015 द्वारा पारित कर दिया गया है जिससे स्मार्ट सिटी की सभी शर्तें मान्य होंगी, स्वीकार किया जा चुका है।

चूँकि वर्तमान में संसद का सत्र चल रहा है। मा0 सांसद जी भी नगर निगम बोर्ड के प्रदेन सदस्य हैं, शासनादेश के अनुसार सत्र के मध्य नगर निगम बोर्ड की बैठक आहूत नहीं की जा सकती है।

संसद सत्र समाप्त होने के उपरान्त नगर निगम बोर्ड की बैठक आहूत कर उक्त प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत प्राप्त कर ली जायेगी।

महापौर

10-18

# नगर निगम, बरेली

प्रतिलिपि

नगर निगम / पारितोषिकी प्रतिलिपि के प्रस्ताव संख्या

6/69

दिनांक 16-9-2015

2

6/69

नगर निगम बरेली को निम्न विवरण अनुसार के प्रस्ताव को नगर निगम बरेली का नगर निगम का निम्न  
 पर विधि सम्बन्धी प्रस्ताव में आ लिए प्रतिलिपि करने हेतु प्रस्ताव निम्न निम्न आ लिए का सम्बन्ध प्रतिलि  
 प्रतिलिपि करने हेतु प्रस्ताव को नगर निगम बरेली को प्रतिलिपि करने हेतु प्रस्ताव निम्न निम्न आ लिए का सम्बन्ध प्रतिलि  
 प्रतिलिपि करने हेतु प्रस्ताव को नगर निगम बरेली को प्रतिलिपि करने हेतु प्रस्ताव निम्न निम्न आ लिए का सम्बन्ध प्रतिलि

| क्र.सं. | विवरण | प्रस्ताव संख्या | प्रस्ताव मूल्य | प्रस्ताव तिथि | प्रस्ताव स्थान |
|---------|-------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 2       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 3       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 4       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 5       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 6       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 7       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 8       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 9       | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 10      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 11      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 12      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 13      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 14      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 15      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 16      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 17      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 18      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 19      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 20      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 21      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 22      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 23      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 24      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 25      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 26      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 27      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 28      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 29      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 30      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 31      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 32      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 33      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 34      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 35      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 36      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 37      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 38      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 39      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 40      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 41      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 42      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 43      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 44      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 45      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 46      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 47      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 48      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 49      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |
| 50      | ...   | ...             | ...            | ...           | ...            |

...

...

...

...

3. Agreements with Para Statal bodies, Boards existing in the city for implementing the full scope of the SCP and sustaining the pan-city and area-based developments

**नगर निगम, बरेली**  
प्रतिलिपि

नगर निगम / सुप्रकारणी समिति के प्रस्ताव संख्या 4/67 दिनांक 30-07-2015

प्रस्ताव

4- रातो विकास, मकलय, भारत द्वारा विकसित स्मार्ट सिटी निगम योजना के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी घटक की प्रक्रिया चल रही है।

स्मार्ट सिटी के घटक को लिए भू-आवक की सुरक्षा / सीमा सुरक्षा आवश्यक है।

संयुक्त रूप से कार्य को समाप्त करवाने निम्नलिखित एक शर्तों को स्वीकार है।

स्वीकार

भारत सरकार के द्वारा प्रेषित स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत विकास के लिए आवश्यक भूमि को सुरक्षा के लिए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए आवश्यक है।

स्वीकार

अ. नगर निगम/सी. नगर निगम के  
द्वारा अनुपालन के लिए स्वीकार है।

नगर निगम बरेली

15/27



#### 4. Proposal from BNN for inclusion of proposed ABD area within BNN jurisdiction

प्रेषक,

सचिव  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।

सेवा में,

नगर आयुक्त  
नगर निगम, बरेली।

पत्रांक- 5588

का0ब0वि0प्रा0-2015

दिनांक- 07-12-15

विषय- स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में रामगंगानगर परियोजना को सम्मिलित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-690, दिनांक-03-12-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना हेतु ग्राम घन्दपुर बिचपुरी की 140.31 हे०, ग्राम डोहरिया की 87.542 हे०, ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर की 29.891 हे० एवं ग्राम अहिरीला की 11.818 हे० भूमि सम्मिलित करते हुए कुल 269.965 हे० भूमि हेतु धारा-4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक-03-6-2004 को की गयी थी। इस भूमि में से प्राधिकरण 10.1134 हे० भू धारकों से बैनामों के आधार पर क्रय की गयी थी। धारा 6(1)/17 की अधिसूचना दिनांक-04-7-2005 को 259.361597 हे० की गयी थी। कुल अर्जित भूमि में से प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त भूमि 246.22 हे० है, जिसमें से 72.5473 हे० भूमि करार के माध्यम से प्राप्त की गयी है। तथा शेष 122.16 हे० भूमि का अभिनिर्णय जिलाधिकारी, बरेली द्वारा घोषित किया जा चुका है। जिसके प्रतिकर का वितरण विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, बरेली द्वारा प्रभावित कारतकारों को किया जा रहा है।

प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना का विकास स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट हेतु किए जाने के सम्बन्ध में आपके अनुरोध के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत कराया गया है, जो निम्नानुसार है:-

प्राधिकरण द्वारा रामगंगानगर योजना की लगभग 30 प्रतिशत भूमि का आवंटन/विक्रय किया जा चुका है, यदि इस भूमि के भू-विन्यास मानचित्र को परिवर्तित किए बिना रामगंगानगर योजना का विकास स्मार्ट सिटी के मानकों के अनुरूप एवं प्राधिकरण की आवासीय योजना का स्वरूप परिवर्तित किए बिना एवं इस हेतु निर्धारित गाईड लाइन (भवन उपविधि/महायोजना) के अनुरूप किया जाता है तो प्राधिकरण को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

सचिव  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।

प्रतिलिपि सं0-

दिनांकित-

- 1- आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, बरेली मण्डल/विकास प्राधिकरण, बरेली को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- उपाध्यक्ष महोदय को तदनुसार अवलोकनार्थ प्रेषित।

सचिव

बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।

**5. Minutes of Meeting of the State Level High Power Steering Committee chaired by the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh approving the SCP for Bareilly**

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'स्मार्ट सिटी मिशन' योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति" (State Level High Power Steering Committee-SHPSC) की बैठक दिनांक 11.12.2015 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :

सर्वश्री-

- 1- श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- यो०के०एल० श्रीवास्तव, विशेष सचिव, वित्त, उ०प्र० शासन।
- 3- जे०बी० सिंह, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- सुरेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- मोहन बाबू गुप्ता, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- शिवजनम चौधरी, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन।
- 7- योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- श्रीमती वीना अग्रवाल, मा० महापौर, नगर निगम, मुरादाबाद।
- 9- श्रीमती शकुन्तला भारती, मा० महापौर, नगर निगम, अलीगढ़।
- 10- श्रीमती किरन वर्मा, मा० महापौर, नगर निगम, अलीगढ़।
- 11- अजय दीप सिंह, राज्य मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 12- डा० निशीथ राय, निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 13- उदयराज सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- 14- शीलधर सिंह यादव, नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली।
- 15- सन्तोष कुमार शर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़।
- 16- अब्दुल समद, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 17- देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 18- अरुण प्रकाश, नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
- 19- संजय कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
- 20- डा० नीरज शुक्ला, नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।
- 21- इन्द्र विक्रम सिंह, नगर आयुक्त, आगरा।
- 22- अमित किशोर, मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।
- 23- ए०के०गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 24- डा० अलका सिंह, उप निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 25- हिमांशु चन्दा, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 26- प्रेम आसूदानी, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 27- ए.के. मिश्रा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बरेली।
- 28- डी.के. गर्ग, ए.आर.एम., लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ।।
- 29- सुरेश राम, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
- 30- उदयवीर सिंह, सटीर, टीम लीडर, स्टेट आरपीएमसी, नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 31- दीपक श्रीवास्तव, वित्तीय विशेषज्ञ, स्टेट आरपीएमसी, नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 32- महिम कुमार, पी०एच०ई०/ई०एस, स्टेट आरपीएमसी, नगर निकाय निदेशालय, लखनऊ।
- 33- एम०सी०जोशी, मुख्य अभियन्ता, उ.प्र.० जल निगम, लखनऊ।
- 34- कैलाश सिंह, मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, वाराणसी।
- 35- डी.पी. बाजपेयी, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य भवन, डीजीएमएचएस।
- 36- संजीव प्रधान, पर्यावरण अभियन्ता, नगर निगम, इलाहाबाद।
- 37- सुरेश चन्द, अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम, कानपुर।

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति" (SHPSC- State Level High Power Steering Committee) की बैठक में सर्वप्रथम सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा स्मार्ट सिटी

मिशन योजना की पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया। तत्पश्चात् श्री ए० के० गुप्ता, अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत संचालित योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत नगर का विकास क्षेत्र आधारित है तथा इस कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत किसी नगर के क्षेत्र को रेट्रोफिटिंग, रिडेवलपमेन्ट तथा ग्रीन फील्ड के आधार पर विकसित किया जा सकता है। रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत न्यूनतम 500 एकड़, रिडेवलपमेन्ट के अन्तर्गत न्यूनतम 50 एकड़ तथा ग्रीनफील्ड के अन्तर्गत न्यूनतम 250 एकड़ क्षेत्र नगर में विकसित किया जाना है तथा इस योजना के अन्तर्गत एक कार्य पैनसिटी आधारित है, जिसके अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स, वेस्ट मैनेजमेन्ट, वॉटर मैनेजमेन्ट, एनर्जी मैनेजमेन्ट, अर्बन मोबिलिटी इत्यादि विषयों पर एक स्मार्ट समाधान भी किया जाना है जिससे कि नगर के सभी नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके तथा चयनित क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर यथा-जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ई-गवर्नेन्स से संबंधित कार्य क्रियान्वित कराये जाने हैं, जिससे कि एक क्षेत्र का विकास हो जाने के पश्चात् इसका अन्य नगरों एवं शहरों के अन्य भाग में इसकी पुनरावृत्ति की जा सके।

(2) बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 12 नगर चयनित हुए हैं तथा इन नगरों के स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाये जाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड कन्सल्टैन्ट को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाने हेतु आरसीयूईएस द्वारा राज्य स्तर पर समय-समय पर कन्सल्टेशन, एक्सपोजर विजिट भी आयोजित किये गये हैं तथा इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी स्मार्ट सिटी प्रपोजल उच्च गुणवत्ता का बनाये जाने हेतु समय-समय पर कार्यशाला आयोजित की गयी है।

(3) भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी प्रपोजल के मूल्यांकन हेतु भी विभिन्न पैरामीटर्स का निर्धारण किया गया है तथा इन पैरामीटर्स के आधार पर जो स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाये जायेंगे उनका मूल्यांकन किया जायेगा। इस मूल्यांकन में सिटी लेवल पैरामीटर को 30 प्रतिशत, क्षेत्रीय विकास आधारित प्रस्ताव को 55 प्रतिशत, तथा पैनसिटी प्रपोजल को 15 प्रतिशत का वेटेज दिया गया है तथा स्मार्ट सिटी प्रपोजल में इम्प्लीमेंटेशन प्लान एवं वित्तीय प्लान पर सर्वाधिक वेटेज दिया गया है तथा उपर्युक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के चयनित 12 नगरों के स्मार्ट सिटी प्रपोजल तैयार किये गये हैं तत्पश्चात् नगरवार स्मार्ट सिटी प्रपोजल समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1- आगरा : नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया कि सिटीजन कन्सलटेशन लोगो, विजन स्मार्ट सिटी प्रपोजल में रेट्रोफिटिंग तथा ग्रीन फील्ड से मिश्रित क्षेत्र का चयन किया गया है तथा यह क्षेत्र ताजमहल के समीप ताजगंज एवं फतेहाबाद रोड के मध्य है तथा पैनसिटी प्रपोजल के अन्तर्गत सिटीजन

कन्सल्टेशन के आधार पर अर्बन मोबिलिटी के क्रियान्वयन से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्ताव प्रपोजल में सम्मिलित किये गये हैं।

समिति द्वारा नगर निगम आगरा के स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

2- अलीगढ़ : नगर आयुक्त अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि सिटीजल कन्सल्टेशन के आधार पर अचल ताल, जामा मस्जिद और नगर निगम कलेक्ट्रेट का एरिया रेट्रोफिटिंग के लिए चयनित किये गये हैं तथा पैनसिटी के अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन, ट्रैफिक एवं अर्बन मोबिलिटी से संबंधित कार्य लिये गये हैं तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम अलीगढ़ की भूमि भी चिन्हित की गयी है जिस पर पार्किंग के साथ-साथ उनका व्यावसायिक उपयोग भी प्रस्तावित है तथा उपरोक्त प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से उचित है। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

3- इलाहाबाद : नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया है कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर नगर का लोगो, विज्ञान, क्षेत्रीय विकास हेतु चिन्हाकन तथा पैन सिटी का निर्धारण किया गया है तथा चयनित क्षेत्र रेट्रोफिटिंग के अन्तर्गत मम्फोर्डगंज, कटरा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चन्द्रशेखर आजाद पार्क एवं हाथी पार्क का चयन किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 1160 एकड़ है तथा पैन सिटी के अन्तर्गत ट्रान्सपोर्टेशन मोबलाईजेशन, आई.सी.टी. एण्ड ई-गवर्नेन्स तथा प्रयाग इन्सीडेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (पीआइएमएस) जो कि कुम्भ मेल, अर्द्ध कुम्भ मेल एवं माघ मेल को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है जिससे कि उपर्युक्त मेलों का सुव्यवस्थित दृष्टि से आयोजन किया जा सके, तथा नगर आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि सभी प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभागों से सहमति प्राप्त कर ली गई है। समिति द्वारा नगर निगम, इलाहाबाद के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है।

4- बरेली : नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली द्वारा अवगत कराया गया कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर विज्ञान, क्षेत्रीय विकास हेतु स्थल का चयन तथा पैनसिटी प्रपोजल को निर्धारित किया गया है क्षेत्रीय विकास प्रस्ताव में बरेली द्वारा ग्रीनफील्ड क्षेत्र का चयन किया गया है जो कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा रामगंगा आवास योजना के अन्तर्गत अधिकृत की गयी थी तथा इस प्रस्ताव में बरेली विकास प्राधिकरण से सहमति प्राप्त कर ली गयी है तथा नगर आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में यह क्षेत्र नगर निगम की सीमा से बाहर है तथा आगामी एक या दो वर्ष के अन्दर नगर निगम की सीमा में वृद्धि करते हुए इस क्षेत्र को नगर निगम बरेली में शामिल कर लिया जायेगा। गाईडलाइन्स के अनुसार ग्रीनफील्ड डेवलपमेन्ट का प्रपोजल नगर निगम सीमा के बाहर भी लिया जा सकता है तथा पैन सिटी के लिए इनके द्वारा आईसीटी बेस्ड स्ट्रीट लाईट एवं सीसीटीवी के कार्य लिये गये हैं। प्रस्तुत प्रस्ताव में विभिन्न योजनाओं का स्थानीय स्तर पर एवं राज्य स्तर की विभिन्न योजनाओं का समायोजन भी किया गया है तथा प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से

उपयुक्त है अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए इनके प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

5- **गाजियाबाद** : नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर इस योजना के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा लोगो, विज़न तथा क्षेत्र आधारित प्रस्ताव एवं पैनसिटी प्रपोजल तैयार किये गये हैं। क्षेत्र आधारित प्रस्ताव राजनगर एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र से योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है तथा पैनसिटी योजना के अन्तर्गत इन्टेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम, इन्टेलीजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम एवं स्मार्ट पार्किंग के कार्य लिये गये हैं। तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम की भूमि भी उपलब्ध है, जिस पर विभिन्न गतिविधियों का विकास करके योजना को वित्तीय दृष्टि से भी क्रियान्वित किया जा सकता है। नगर निगम, गाजियाबाद के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

6- **झांसी** : नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर लोगो, विज़न, क्षेत्र आधारित प्रस्ताव तथा पैनसिटी प्रपोजल तैयार किये गये हैं। क्षेत्र आधारित प्रपोजल के अन्तर्गत झांसी रेलवे स्टेशन के पास का व्यावसायिक आवासीय क्षेत्र, नगर निगम के वार्ड संख्या-5, 42,43, 47, 51, 52, 53, 54, 55 जिसके अन्तर्गत 1391 एकड़ क्षेत्र पड़ता है। क्षेत्र विकास तथा नगर के अन्तर्गत पैनसिटी में इन्टेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट विद स्मार्ट पार्किंग के विभिन्न कार्य सम्पादित कराये जायेंगे, तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम की उपलब्ध भूमि पर पार्किंग एवं व्यवसायिक योजनाएं भी प्रस्तावित की है जिससे प्रपोजल की वित्तीय दृष्टि से भी उपयोगी बनाया गया है। नगर निगम, झांसी के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

7- **कानपुर** : नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर लोगो, विज़न, क्षेत्र आधारित प्रपोजल तथा पैनसिटी प्रपोजल को अंतिम रूप दिया गया है तथा सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर कानपुर का घंटाघर क्षेत्र तथा इसके निकटवर्ती 11 वार्डों को सम्मिलित करते हुए जिसका कुल क्षेत्रफल 977 एकड़ होता है तथा इसके अतिरिक्त पैनसिटी प्रपोजल में इन्टेलीजेन्ट ट्रैफिक मैनेजमेन्ट, पब्लिक एड्रेस, स्मार्ट पार्किंग से संबंधित कार्य प्रस्ताव में शामिल किये गये हैं। उपरोक्त प्रस्ताव की समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

8- **लखनऊ** : नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा लोगो तथा क्षेत्र आधारित प्रपोजल तथा पैनसिटी प्रपोजल प्रस्तावित किया गया है। रेट्रोफिटिंग आधारित विकास में कैसरबाग एवं उसके आस-पास का क्षेत्र जिसमें कुल 719 एकड़ का क्षेत्र लिया गया है तथा पैनसिटी प्रपोजल के अन्तर्गत स्मार्ट सिटी नेटवर्क विद फोकस ऑन स्मार्ट मोबिलिटी से संबंधित कार्य इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। समिति द्वारा क्षेत्र आधारित प्रस्ताव एवं पैन सिटी प्रपोजल पर सहमति व्यक्त की गयी।

9— **मुरादाबाद** : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर लोगो, विज़न एवं क्षेत्र आधारित प्रस्ताव एवं पैनसिटी के प्रस्ताव चयनित किये गये हैं। क्षेत्र आधारित प्रस्ताव के अन्तर्गत शहर के मध्य सम्मिल स्कवायर एवं बुद्ध बाजार के समीपवर्ती क्षेत्र तथा पुनर्विकास हेतु रामगंगा के किनारे नदी के सौन्दर्यीकरण से संबंधित विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं जिसके अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे दोनों ओर रिटेनिंग वॉल तथा सीवरेज इत्यादित से संबंधित कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं तथा पैनसिटी योजना के अन्तर्गत आईसीटी इनेब्लड ई-गवर्नेन्स प्लेटफार्म से संबंधित विभिन्न कार्य योजना में सम्मिलित किये गये हैं। एस0पी0वी0 के नये प्रस्तावित भवन में नेट जीरो बिल्डिंग के इनोवेटिव आईडिया का क्रियान्वयन भी इस नगरीय संस्थान में किया जायेगा उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

10— **रामपुर** : मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर, जो इस योजना के नोडल अधिकारी नामित हैं, द्वारा अवगत कराया गया कि लोगों की जनसहभागिता के आधार पर लोगो, विज़न एवं क्षेत्र आधारित प्रोजेक्ट तथा पैनसिटी प्रोजेक्ट का निर्धारण किया गया है। रामपुर नगर उत्तराखण्ड एवं जिम कार्बोट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है तथा रामपुर नगर को पर्यटक क्षेत्र से दृष्टिगत रखते हुए विकसित किया जा सकता है उपर्युक्त अवधारणा के आधार पर रेट्रोफिटिंग आफ मार्केट एरिया तथा पुराने जेल एरिया का पुनः विकास तथा लेक के सौन्दर्यीकरण से संबंधित विभिन्न कार्य सम्मिलित किये गये हैं तथा यह गाईडलाइन्स के अनुसार रेट्रोफिटिंग एवं रीडेवलपमेन्ट के मिश्रण की श्रेणी में यह योजना आती है तथा रामपुर नगर पालिका द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को ई-गवर्नेन्स प्लेटफार्म पर बनाये जाने हेतु आई.सी.टी. इनेब्लड ई-गवर्नेन्स प्लेटफार्म से संबंधित विभिन्न कार्य योजना में सम्मिलित किये गये हैं तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि योजना के अन्तर्गत ट्रामा सेन्टर के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर का नगरीय संस्थान इस योजना में समायोजित किया गया है तथा संस्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा धनराशि भी अवमुक्त कर दी गयी है तथा इस भवन में नेट जीरो बिल्डिंग के इनोवेटिव आईडिया का क्रियान्वयन भी इस नगरीय संस्थान में किया जायेगा तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

11— **सहारनपुर** : नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर लोगो, विज़न एवं चयनित पैनसिटी प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। चयनित क्षेत्र रेट्रोफिटिंग कम री-डेवलपमेन्ट प्रकृति का है तथा यह क्षेत्र उत्तर में अम्बाला सहारनपुर रोड, पूर्व में थम्मोला रिवर तथा दक्षिण में आई.सी.टी. मिल तथा पश्चिम में ओल्ड म्युनिसिपल बाउन्ड्री के मध्य है। इस योजना के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 810 एकड़ है जिसमें से 70 एकड़ क्षेत्र पुनर्विकास के लिए है प्रस्ताव में पुनर्विकास वाले क्षेत्र के अन्तर्गत नागरिकों से सहमति भी प्राप्त कर ली गयी है यह क्षेत्र रेट्रोफिटिंग - रि-डेवलपमेन्ट प्रकृति का है तथा पैनसिटी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आई.सी.टी. बेस्ड यूटीलिटी कॉरीडोर जिससे कि सेवा प्रदायता एवं प्रबंधन की

क्षमता को बेहतर बनाया जा सके, इससे संबंधित विभिन्न कार्य प्रस्तावित किया गया है तथा यह भी अवगत कराया कि रेड्रोफिटिंग क्षेत्र में एक मुख्य मार्ग को पूरी तरह पैदल मार्ग के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव है। नगर निगम, सहारनपुर के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

12- वाराणसी : मुख्य अभियंता, नगर निगम वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि सिटीजन कन्सल्टेशन के आधार पर वाराणसी का लोगो, विज्ञान तथा क्षेत्र आधारित प्रपोजल तथा पैनसिटी प्रपोजल को अंतिम रूप दिया गया है। क्षेत्र आधारित प्रपोजल के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा नगर का पुराना क्षेत्र जो कि सिगरा, गदौलिया, मैदागिन एवं लोहरावीर के साथ भेलूपुर का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया गया है तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 4 लाख की आबादी निवास करती है तथा इस योजना के अन्तर्गत सभी कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित किया गया है तथा वाराणसी में चल रही विभिन्न योजनाओं का समायोजन भी किया गया है तथा पैनसिटी प्रपोजल के अन्तर्गत इन्टेलीजेन्ट ट्रेफिक मैनेजमेन्ट विद सर्विलेन्स एवं जीआईएस मैपिंग, स्मार्ट पार्किंग इत्यादित से संबंधित समस्त कार्य पैनसिटी प्रपोजल में सम्मिलित किये गये हैं तथा उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

(4) सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित नगरों के नगर आयुक्तों, कन्सल्टैन्ट्स तथा आरसीयूईएस की टीम द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तावों को तैयार किया गया है तथा साथ ही यह अवगत कराया गया है कि इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं जो केन्द्रीय सहायतित हैं को प्रथम चरण में सभी स्मार्ट सिटी में लागू करने हेतु प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा जाना होगा। अपर निदेशक, आरसीयूईएस, लखनऊ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्तमान में भारत सरकार की सोलर मिशन –अपराम्परिक ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, आईपीडीएस/एसीएडीए योजना – ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, पीएनजी योजना पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा, मेघराज क्लाइड्स – आई.टी. मंत्रालय द्वारा योजनाएँ क्रियान्वित हैं अतः प्रदेश के सम्बन्धित विभाग से एवं भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय से यह अनुरोध किया जाना अपेक्षित होगा कि संबंधित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव भारत सरकार भेजे जाए तथा स्मार्ट सिटी प्रपोजल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर परिवहन विभाग, आवास विभाग, स्टेट आर्कलोजिकल विभाग, भूगर्भ जल विभाग, गृह एवं यातायात इत्यादि विभागों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

उक्त पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि संबंधित विभाग प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट सिटी प्रपोजल के क्रियान्वयन में प्रभावी सहयोग करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित समन्वय भी स्थापित किया जाय।

(5) बैठक में अवगत कराया गया कि स्मार्ट सिटी प्रपोजल का क्रियान्वयन एस0पी0वी0 के माध्यम से किया जाना है तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार/एस0पी0वी0

के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर में मण्डल मुख्यालय की नगरीय निकायों की एस0पी0वी0 के अध्यक्ष मण्डलायुक्त तथा अन्य नगरों की एस0पी0वी0 के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे तथा इसके निदेशक मण्डल में विद्युत विभाग, जल निगम, नगर आयुक्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा आर0सी0यू0ई0एस0 के प्रतिनिधि निदेशक मण्डल के सदस्य होंगे। इस प्रस्ताव पर समिति द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

(6) राज्य मिशन निदेशक/निदेशक, नगर निकाय, उ0 प्र0 द्वारा अवगत कराया गया कि इस योजना के संचालन हेतु केन्द्रीय स्तर पर आरसीयूईएस सहित संबंधित नगरीय निकायों का लिंक खाता खोला जाना होगा जिससे कि योजना से संबंधित धनराशि संबंधित खातों में हस्तान्तरित की जा सके। समिति द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना के राज्य मिशन निदेशक के प्रस्तावानुसार अग्रेतर कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की गई।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार-विमर्श तथा संस्तुति के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

  
( श्री प्रकाश सिंह )  
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-5  
संख्या-6559/नौ-5-2015-180सा/2015टीसी  
लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि समस्त सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,  
  
( उमा शंकर सिंह )  
विशेष कार्यवाहिकारी।

5. Commitment for provision of land as per the Smart Cities Mission Guidelines by Bareilly Development Authority

प्रेषक,  
सचिव  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।

सेवा में,  
नगर आयुक्त  
नगर निगम, बरेली।

पत्रांक- 5588 का0ब0वि0प्रा0-2015 दिनांक- 07.12.15  
विषय- स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ग्रीन फील्ड डेवलपमेन्ट में रामगंगानगर परियोजना को सम्मिलित करने हेतु  
सैद्धान्तिक सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,  
कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-890, दिनांक-03-12-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना हेतु ग्राम चन्दपुर बिचपुरी की 140.31 हे०, ग्राम डोहरिया की 87.542 हे०, ग्राम मोहनपुर उर्फ रामनगर की 29.891 हे० एवं ग्राम अहिरोला की 11.618 हे० भूमि सम्मिलित करते हुए कुल 269.865 हे० भूमि हेतु धारा-4(1)/17 की अधिसूचना दिनांक-03-6-2004 को की गयी थी। इस भूमि में से प्राधिकरण 10.1134 हे० मू धारकों से बैनामें के आधार पर क्रय की गयी थी। धारा 6(1)/17 की अधिसूचना दिनांक-04-7-2005 को 259.361597 हे० की गयी थी। कुल अर्जित भूमि में से प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त भूमि 246.22 हे० है, जिसमें से 72.6473 हे० भूमि करार के माध्यम से प्राप्ता की गयी है। तथा शेष 122.16 हे० भूमि का अभिनिर्णय जिलाधिकारी, बरेली द्वारा घोषित किया जा चुका है। जिसके प्रतिकर का वितरण विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, बरेली द्वारा प्रभावित कार्तकारों को किया जा रहा है।

प्राधिकरण की रामगंगानगर आवासीय योजना का विकास स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत ग्रीन फील्ड डेवलपमेन्ट हेतु किए जाने के सम्बन्ध में आपके अनुरोध के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति हेतु प्रस्ताव परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत कराया गया है, जो निम्नानुसार है-

प्राधिकरण द्वारा रामगंगानगर योजना की लगभग 30 प्रतिशत भूमि का आवंटन/विक्रय किया जा चुका है, यदि इस भूमि के मू-विन्यास मानचित्र को परिवर्तित किए बिना रामगंगानगर योजना का विकास स्मार्ट सिटी के मानकों के अनुरूप एवं प्राधिकरण की आवासीय योजना का स्वरूप परिवर्तित किए बिना एवं इस हेतु निर्धारित गार्डर्ड लाइन (भवन उपविधि/महायोजना) के अनुरूप किया जाता है तो प्राधिकरण को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार अवलोकनार्थ प्रेषित है।

भवदीय  
7/12  
सचिव  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।

प्रतिलिपि सं0- दिनांकित-

- 1- आयुक्त/अध्यक्ष महोदय, बरेली मण्डल/विकास प्राधिकरण, बरेली को अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2- उपाध्यक्ष महोदय को तदनुसार अवलोकनार्थ प्रेषित।

सचिव  
बरेली विकास प्राधिकरण  
बरेली।